न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 30/2019

दायरा दिनांक – 26.07.2019

निर्णय दिनांक – 19-2-21

उनवान

1. खूबा पुत्र हीमता जाति स्वामी निवासी ढ़ाणी कानूगोवाली तन होलावास तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

–– प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर, राज.

–– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. **प्रार्थी** – श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड0
2. **अप्रार्थी** – पैरोकार सरकार

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं. 577 रकबा 0.03 है., 578 रकबा 4.15 है., 579 रकबा 0.65 है. वाके मौजा लेकड़ी जो कि दौराने बन्दौबस्त सम्वत 2060 में साबिक ख.न. 482, 482/1, 482/2 वाके मौजा लेकड़ी से बने है साबिक आराजी खसरा नं. 482 का रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा था। जिसमें से दुरूस्ती आदेश दिनांक 08.01.1972 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के द्वारा आराजी खसरा नं. 482/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा लेकड़ी तहसील बानसूर प्रार्थीगण के बुजुर्गान हिमता पुत्र नरसा और ओमकार पुत्र हनुता के नाम दुरूस्ती कर उक्त खसरा नं. 482/1 [illegible] दक्षिण में काट दिया था तथा शेष रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खसरा नं. 482 [illegible] जैसा कि इन्तकाल संख्या 85 मौजा लेकड़ी में बने नक्शे से साबित है। प्रार्थी व [illegible] मुताबिक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

दिनांक 08.01.1972 उपखण्ड अधिकारी बहरोड के प्रार्थीगण साबिक आराजी खसरा नं. 482/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा जो खसरा नं. 482 का दक्षिण भाग है पर अपने बुजुर्गान के समय से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आज दिन भी काबिज काश्तकार है शेष रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर तत्कालीन खातेदार हरनाथ सिंह के वारीसान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु भू–प्रबन्ध सम्वत 2060 के राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून कब्जा मौका नक्शा ट्रेस सम्वत 2060 में प्रार्थीगण के नये खसरा नं. 577, 578 तरफ उत्तर में दर्शा दिये तथा नया खसरा नं. 579 रकबा 0.65 हैक्टर को दक्षिण में दर्शा दिया तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 में साबिक खसरा नं. 482/1 का रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 2 बीघा 12 बिस्वा दिखा कर नया ख.न. 579 रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नं. 482/2 का नया खसरा नं. 578 रकबा 4.15 है. बना दिया जो खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा मौका होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नं. 579 रकबा 0.65 हैक्टर मौजा लेकडी के नामान्तरण संख्या 85 मौजा लेकड़ी में बनाये गये नक्शे के मुताबिक तरफ उत्तर में दर्शित किया जावे तथा खसरा नं. 578 रकबा 4.15 हैक्टर व खसरा नं. 577 रकबा 0.03 हैक्टर को तरफ दक्षिण में दर्शित किये जाने के आदेश पारित कर राजस्व रिकॉर्ड हाल नक्शा ट्रेस में अंकन करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार बानसूर से आराजी खसरा नं. 579 रकबा 0.65 हैक्टर वाकै मौजा लेकडी का मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके एवं नक्शे के अनुसार स्पष्ट रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर/पटवारी हल्का लेकडी अनुसार ग्राम लेकडी के खसरा नं. 579 रकबा 0.65 हैक्टर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2077 खाता सख्या 255 रिशाल पत्नी पूर्णसिंह हिस्सा 1/5 रहन एस.बी.आई शाखा बानसूर, मुन्शीसिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 1/5 रहन पी.एन.बी. शाखा बानसूर, महेन्द्र सिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 1/5 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा बानसूर, छोटूसिंह उर्फ नरेन्द्रसिह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 1/5 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा बानसूर, जयसिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 1/5 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा बानसूर कौम राजपूत निवासी लेकड़ी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नं. पर श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अलवर का स्थगन दिनांक 27.08.2018 का नोट अंकित है। तथा मौका स्थिति अनुसार खसरा नं. 579 पर खूबा पुत्र हीमता हिस्सा 1/2 मोतीदास, हीरादास पुत्र भौरादास हिस्सा 1/4 सरवण पत्नी सूगादास हिस्सा 1/8, सजना पत्नी जगदीश हिस्सा 1/8 जाति स्वामी निवासी होलावास द्वारा कब्जा काश्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया गया। हाल आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.03 हैक्टर, 578 रकबा 4.15 हैक्टर वाके मौजा लेकडी जो कि साबिक खसरा नं. 482 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा में से बने हुये है। मुताबिक आदेश उपखण्ड अधिकारी बहरोड के जर्ये नामान्तरण संख्या 85 दिनांक 19.04.1973 के प्रार्थी के बुर्जुगान हिमता पुत्र नरसा,

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

ओमकार पुत्र हनुता कौम स्वामी के नाम दर्ज व स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 85 में साबिक खसरा नं. 482 के टुकडे कर खसरा नम्बर 482/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा लेकडी की तरफ दक्षिण में कामय किया गया। जो कि नामान्तरण संख्या 85 में बनाये गये नजरी नक्शे से बखूबी साबिक है। आराजी खसरा नं. 577, 578 को नक्शे बन्दोबस्त सम्वत 2060 में तर्फ उत्तर में दर्शाया गया है। तथा साबिक खसरा नम्बर 482 का शेष रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 579 रकबा 0.65 जो कि रिसाल पत्नी पूर्णसहि आदि के नाम दर्ज रिकॉर्ड है को दक्षिण में दर्शाया गया है अर्थात वर्तमान रिकॉर्ड में उल्टा (गलत) दर्शाया गया है। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर एवं नामान्तरण संख्या 85 में दर्शाये गये नक्शे अनुसार प्रार्थी व अन्य खातेदार अपने-अपने खसरा नम्बर व नक्शे पर मुताबिक साबिक नम्बर/रिकॉर्ड अनुसार ही काबिज काश्त है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के नक्शे की बनावट बड़ा रकबा होने से उसकी आकृति बडी है जैसा की नामान्तरण संख्या 85 में अंकित नजरी नक्शे से बखूबी साबित है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्तमान नक्शा बनाते समय प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 577, 578 को दक्षिण के बजाय उत्तर में व अन्य खातेदारों की आराजी खसरा नम्बर 579 को उत्तर के बजाय तरफ दक्षिण में गलत दर्शाया गया है। जो साबिक रिकॉर्ड/ नामान्तरण संख्या 85 के अनुसार दुरूस्ती होने योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार कर हाल नक्शे में दर्शाये गये आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.03 हैक्टर, 578 रकबा 4.15 हैक्टर वाकै मौका लेकडी को तरफ उत्तर के बजाय तरफ दक्षिण में तथा आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 0.65 हैक्टर वाकै मौजा लेकडी को तरफ दक्षिण के बजाय तरफ उत्तर में दर्शा कर हाल नक्शे में नामान्तरण संख्या 85 की पुस्त पर अंकित नक्शे अनुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बानसूर को मुताबिक निर्णय राजस्व नक्शे में अंकन करने हेतु अहकाम जारी हो।

राकेश कुमार मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर, अलवर

Signature Not Verified

आज यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 19-2-21 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

राकेश कुमार मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर, अलवर

Scanned with CamScanner